छापे में सोना-चांदी और गहने मिले

अहमदाबाद की ईडी टीम ने की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 01 जनवरी धन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नए साल की शुरुआत में बड़ा प्रहार किया है। अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय की टीम ने हिमांशु उर्फ पिंटू भावसार और उससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ की गई तलाशी कार्रवाई में करोड़ों रुपये मूल्य की

▶ शेयर बाजार में निवेश के नाम पर की थी ठगी

सोना, चांदी, नकदी और विदेशी मुद्रा जब्त कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही जांच का हिस्सा है।

ईडी की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि निवेश के नाम पर लोगों को गुमराह कर अर्जित की गई अवैध आय पर एजेंसी की कड़ी नजर है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी समूह ने शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेशकों से धन जुटाया और बाद में उस धन को अलग-अलग माध्यमों से सफेद करने की कोशिश की। जब्त की गई संपत्तियों का पैमाना इस बात की ओर इशारा करता है कि मामला केवल साधारण वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध का हो सकता है। ईडी अब इस पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच में जुट गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अहमदाबाद आंचलिक इकाई ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर की गई कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमांशु उर्फ पिंटू भावसार और अन्य संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान एजेंसी ने करोड़ों रुपये मूल्य की सोना, चांदी, नकदी, विदेशी मुद्रा और विभिन्न संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं।

> तलाशी के दौरान करीब 110 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां बरामद की गईं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2 .4 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा करीब 1.296 किलोग्राम सोने के बिस्कुट भी जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 1.7 करोड़ रुपये आंका गया है। एजेंसी ने लगभग 39 .7 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 38 .8 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और करीब 10 .6 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भी अपने कब्जे में ली है। ईडी के मुताबिक यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की जा रही जांच का हिस्सा है।

उप राष्ट्रपति कल तमिलनाडु की दो दिन की यात्रा पर जाएंगे

नयी दिल्ली 01 जनवरी। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन शुक्रवार को तमिलनाडु की दो दिन की यात्रा पर जायेंगे। उप राष्ट्रपति सचिवालय ने गुरुवार को बताया कि श्री राधाकृष्णन शुक्रवार को चेन्नई में डॉ. एमजीआर एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद वह उसी दिन ताज कोरोमंडल में आयोजित रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में भाग लेंगे। शाम को वह चेन्नई के कलैवनार अरंगम में आयोजित एक सार्वजनिक स्वागत समारोह में शामिल होंगे।

बांग्लादेश को ले जाएगी संकट में पाकिस्तान-चीन की राह

बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन की चेतावनी

नई दिल्ली, 01 जनवरी। बंगलादेश के पूर्व विदेश मंत्री प्रोफेसर ए के अब्दुल मोमेन ने आगाह किया है कि यदि बंगलादेश पाकिस्तान और चीन के साथ अत्यधिक नजदीकी बढ़ाता है और धार्मिक कट्टरवाद पनपने देता है तो देश एक खतरनाक भू-राजनीतिक और वैचारिक भंवर में फंस सकता है। उन्होंने ऐसी स्थिति में देश में आर्थिक गतिविधियों में ठहराव, कूटनीतिक अलगाव और सामाजिक विभाजन की भी गंभीर आशंका जतायी है। वर्ष 2019 से 2024 तक बांग्लादेश के विदेश मंत्री रहे प्रो. मोमेन ने यूनीवार्ता को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि बंगलादेश-पाकिस्तान-चीन का उभरता गठजोड़ न केवल ढाका के लिए बल्कि समूचे दक्षिण और

दक्षिण-पूर्व एशिया में गहरी अस्थिरता पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस गठजोड़ के कारण कई तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनमें अमेरिका की ओर से दबाव या प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विश्वसनीयता में गिरावट, भारत और अन्य उदार पड़ोसी देशों से दूरी, और सबसे गंभीर रूप से जिहादी कट्टरवाद तथा अधिनायकवादी शासन की ओर बढना शामिल है।

> इससे पहले बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने इसी महीने कहा था कि रणनीतिक रूप से यह संभव है कि बंगलादेश पाकिस्तान के साथ किसी ऐसे क्षेत्रीय समूह में शामिल हो सकता है जिसमें भारत न हो। यह सर्वविदित है कि दिवंगत प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के शासनकाल के दौरान बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के चीन और पाकिस्तान दोनों से करीबी संबंध थे और उन्होंने उस समय पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर करने के उद्देश्य से आतंकी शिविर चलाने की अनुमति दी थी।

दक्षिणी ब्राजील में गोलीबारी में 5 की मौत

साओ पाउलो 1 जनवरी. दक्षिणी ब्राजील के पराना राज्य में हुई दो संबंधित गोलीबारी की घटनाओं में एक मृतक और चार सशस्त्र संदिग्धों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गयी।

एक व्यक्ति का शव कॉर्नेलियो प्रोकोपियो के एक मोहल्ले में मिला, जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह शहर राज्य की राजधानी कुरुतिबा से लगभग 380 किमी और अर्जेंटीना और पैराग्वे के साथ ब्राजील की सीमा से लगभग 520 किमी दूर स्थित है। सैन्य पुलिस ने बाद में इस मामले से जुड़े माने जा रहे चार सशस्त्र संदिग्धों का पता लगाया और उनका पीछा किया, जो बुधवार तड़के गोलीबारी में समाप्त हुआ, जिसमें चारों मारे गए।

नववर्ष 2026 राष्ट्रपति से विपक्ष तक एकता का संदेश

नई दिल्ली, 01 जनवरी। नववर्ष 2026 के आगमन पर देश के शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन नेताओं और प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने एक स्वर में देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और एक

▶ नए साल पर देश के नेताओं ने दीं शुभकामनाएं

मजबूत, विकसित एवं समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस नेतृत्व तक, सभी ने नए साल को एकता, सकारात्मक सोच और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री योगी

> प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा कि नया साल सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए। उन्होंने विश्वास जताया कि देश आने वाले वर्ष में चुनौतियों पर काबू पाते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भी नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शांति, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि नया वर्ष एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण के लिए देशवासियों के सामूहिक संकल्प को और सुदृढ़ करे।

जी ने भी एक्स पर एक संदेश पोस्ट करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष 2026 के अवसर पर देश के प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक मजबूत, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नववर्ष संदेश में एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कमजोर वर्गों के अधिकारों, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और किसानों की समृद्धि को साझा राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नए साल में खुशहाली, स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नववर्ष को नए संकल्प, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह केवल तारीख बदलने का अवसर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेने का समय है।

भारत-पाक ने परमाणु ठिकानों की सूची साझा की

नई दिल्ली, 01 जनवरी। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक-दूसरे के साथ अपने-अपने परमाणु ठिकानों और प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच

▶ 35 साल पुरानी परंपरा कायम

पिछले 35 वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है और राजनयिक माध्यमों से नई दिल्ली व इस्लामाबाद में पूरी की गई।

विदेश मंत्रालय के अनुसार यह आदान-प्रदान परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के तहत किया गया, जिस पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर हुए थे। यह समझौता 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ और इसके अंतर्गत हर वर्ष 1

> इस बीच भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का भी आदान-प्रदान किया। भारत ने 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की जानकारी साझा की, जबकि पाकिस्तान ने 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की सूची भारत को सौंपी। भारत ने पाकिस्तान से सजा पूरी कर चुके 167 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों, उनकी नौकाओं तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आग्रह किया है।

जनवरी को दोनों देश अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी साझा करते हैं। पहली बार यह सूची 1 जनवरी 1992 को बदली गई थी। यह प्रक्रिया ऐसे समय में हुई है जब मई 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के कथित परमाणु ठिकाने किराना हिल्स को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे सामने आए थे। हालांकि भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था कि किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। सीजफायर के बाद 12 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा था कि भारत ने किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया। वहीं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी पाकिस्तान में किसी परमाणु रिसाव या उत्सर्जन से इनकार किया था। 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित 180 और पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं।

नए साल में शिवराज का अफसरों को सख्त संदेश

▶ किसानों-ग्रामीणों के लिए लक्ष्यपूर्ण सेवा का संकल्प

नई दिल्ली, 01 जनवरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए वर्ष के पहले दिन अपने दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों को संकल्प दिलाया, इसके साथ ही नया वर्ष 2026 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों के लिए नई ऊर्जा और संकल्प के साथ शुरू हुआ।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालयों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुरूप सरकार फाइलों में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए का संकल्प दोहराया। श्री चौहान ने कहा कि देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों से जुड़ी है, इसलिए हमारा हर कदम किसानों और ग्रामीणों की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीम भावना से काम करते हुए साप्ताहिक लक्ष्य तय करें और पूरे वर्ष की

कार्ययोजना भी तैयार करें, ताकि काम में तेजी और परिणामों में स्पष्टता लाई जा सके। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सुधार की जो दिशा दी है, उसके अनुरूप प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर जनता को राहत देना मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने काम के लिए विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें। श्री चौहान ने कहा कि भारत की सोच आदर्श और उन्नत है- प्रधानमंत्री जी ने गुलामी के अंशों को मिटाने का जो आह्वान किया है, उसी भावना से ग्रामीण भारत को विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए.

मादक पदार्थ ले जा रही नौकाओं पर हमला

वाशिंगटन, 01 जनवरी. अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में दो दिनों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में पांच नौकाओं को नष्ट किया, जिनमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। यह जानकारी बुधवार को अमेरिकी दक्षिणी कमांड ने दी। कमांड की वेबसाइट पर जारी बयान के अनुसार युद्ध सचिव पीट हेगसेथ के निर्देश पर जॉइंट टास्क फोर्स सदर्न स्पीयर ने सोमवार को नामित आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित तीन नौकाओं पर और बुधवार को दो अन्य नौकाओं पर हमले किए। कमांड ने बताया कि सोमवार को हुए पहले हमले में पहली नौका पर सवार तीन लोग मारे गए। बयान में कहा गया, शेष नार्को-आतंकवादियों ने अन्य दो नौकाओं को छोड़कर बिना देर किये समुद्र में छलांग लगा दी। जिसके बाद संबंधित नौकाएं डूब गईं।

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/ प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोल्लिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **20-01-2026** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **20-01-2026** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **19-01-2026** को समय सायं 5.00 बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड,** तीसरी मंजिल, यूनिट 301, एनआरके टेक पार्क, प्लॉट नंबर 94, रिंग रोड, रेडिसन स्क्वायर के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश 452010 पर जमा किया जाना चाहिए।
प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/ कानूनी वारिस(सों)/ जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	9175788 & 9178508 & 9949493	श्रीमती मिनाक्षी बजाज, स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज की पत्नि एवं कानूनी उत्तराधिकारी श्री राजीव बजाज स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज के पुत्र एवं कानूनी उत्तराधिकारी	Rs.18,28,823/- अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs.6,28,065/- अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs.12,40,726/- अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल Rs. 36,97,614/- 21-11-2022	Rs. 30,00,000/- (अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): Rs.3,00,000/- कब्जे का प्रकार – भौतिक	Rs.10,52,400/- अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs.20,85,097/- अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं Rs.30,61,880/- अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है 23-12-2025

अचल संपत्ति का विवरण:- अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, दूसरी मंजिल पर सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र 1040.00 वर्गफीट या 96.65 वर्ग मीटर का एक फ्री होल्ड आवासीय फ्लैट नंबर 202, जो 'कृष्णा कुंज' नामक बहुमंजिला इमारत/कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसका निर्माण पलसीकर कॉलोनी इंदौर जिला: इंदौर मध्य प्रदेश, प्लॉट नंबर 19 के उत्तर पश्चिम की ओर (सामने की ओर) की भूमि पर किया गया है, **चर्तुसीमा**: पूर्व:- अन्य भूमि, पश्चिम:- फ्लैट नं. 201, उत्तर:- रोड, दक्षिण:- अन्य भूमि, **प्रकटीकरण:- सह-ऋणी द्वारा TCHFL के विरुद्ध दायर किया गया SA (SA/549/2024) DRT, जबलपुर के समक्ष लंबित है। उक्त मामले में TCHFL के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।**

क्रं	ऋण खाता क्रं.	नाम	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
2	TCHHF064 300010025 0224	श्रीमती मंजू राठौड़ श्री राकेश राठौड़	Rs. 10,88,302/- 10-07-2024	Rs.14,00,000/- अग्रिम जमा राशि (ईएमडी): Rs.1,40,000/- कब्जे का प्रकार – भौतिक	Rs.14,40,840/- 23-12-2025

अचल संपत्ति का विवरण:- उक्त अचल संपत्ति का शेष एवं संपूर्ण भाग, मकान नंबर 120, गरबा चौक, ग्राम शिवगढ़, तहसील सैलाना, जिला रतलाम - 47001, उक्त मकान का ग्राउण्ड फ्लोर आरसीसी से बना हुआ है। कुल क्षेत्रफल 445.73 वर्ग फीट यानि (41.42 वर्ग मीटर) **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व : निकास एवं सड़क, पश्चिम: रामरतन का मकान, उत्तर: शांतिबाई का मकान, दक्षिण: गली

नोट : बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि बोली जमा करने से पहले वे पूरी जांच-पड़ताल कर लें। नीलामी मुकदमे के नतीजे, अगर कोई विवाद है, तो उसके अधीन होगी।
नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप्र से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।
बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://BidDeal.in के माध्यम से दिनांक 20-01-2026 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांडडाफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड डाफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। **आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी** के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **12-01-2026** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों, मुकदमों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें, बोली जमा करने से पूर्व। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, मेसर्स वेल्यू ट्रस्ट केपिटल सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड, पता: बी-585 हेस्टींग कॉलोनी, वीआईपी नगर, आनंदपुर, कोलकाता 700 100, अपने समन्वयकों, Auction.Manager@BidDeal.in के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surli.cc/jjbnjy** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**
कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
स्थान : इन्दौर (मध्य प्रदेश) — **(प्राधिकृत अधिकारी)**
दिनांक : 02-01-2026 — **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.**

TATA **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।
ऋणी (यों) द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, ऋणी (यों) को विशेष रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे ऋणी (यों) ने **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर** द्वारा नीचे उल्लेखित सी.सी. नंबर में पारित आदेश के मद्देनजर न्यायालय आयुक्त/तहसीलदार के माध्यम से यहां वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है और उक्त तहसीलदार ने नीचे हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी को **भौतिक कब्जा** सौंप दिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों/ कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दि. / कब्जा दिनांक	आदेश दिनांक / केस नं.
TCHIN0284000 100327736 & TCHHL028400 0100325473 & TCHHF028400 0100335859	श्री योगश केशव भोई (ऋणी) श्रीमती किर्ति भोई (सह-ऋणी)	Rs. 41,321/- & Rs. 4,54,979/- & Rs. 11,42,847/-	08-04-2025 / 29-12-2025	14-10-2025 / Case No 0022/B-121/ 2025-26

सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों/गिरवी संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, उक्त संपत्ति आवासीय फ्लेट नं. जी-3, तृप्ति आर्केड का तल मंजिल, प्लॉट नं. 1329 पर निर्मित, स्कीम नं. 114- प्रथम, इंदौर म.प्र. स्थित, सुपर बिल्टअप एरिया 590 वर्ग फीट, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व: फ्लेट नं. जी-2, पश्चिम: प्लॉट नं. 1328, स्कीम नं. 114 प्रथम, उत्तर: प्लॉट नं. 1360, स्कीम नं. 114 प्रथम, दक्षिण: सामान्य मार्ग एवं सीढ़ियां

दिनांक : 29.12.2025 — **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : इंदौर (म.प्र.) — **वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD

इंडियन बैंक,
देवास शाखा - 91, मोती बंगलो, देवास (म.प्र.)

विक्रय सूचना का प्रकाशन (ई-नीलामी द्वारा)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रुप से निम्न उल्लेखित ऋणी एवं जमानतदार को सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी / प्रभारित की गई है, जिसका **रचनात्मक कब्जा** इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसे संपत्ति के ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार से इंडियन बैंक,सुरक्षित लेनदार को देय निम्न उल्लेखित राशि की वसूली हेतु **20.01.2026** को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर विक्रय किया जाएगा।
ई-नीलामी मोड के माध्यम से ब्रिकी के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

क्रं.	ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार	संपत्ति का विस्तृत विवरण	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / सुरक्षित ऋण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली बढ़ाने की राशि
1.	**1. श्री आशीष वैद्य पिता कृष्णचंद्र वैद्य** मकान नं. 369, अल्कापुरी देवास 455001 **शाखा: देवास**	शास्कीय तृतीया एवं चतुर्थी श्रेणी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित देवास में निर्मित आवासीय संपत्ति का वह समस्त एवं संपूर्ण भाग, प्लॉट नंबर 369, अलकापुरी, देवास रूप में विकसित, **संपत्ति मालिक- आशीष वैद्य,** क्षेत्रफल - 96 वर्गमीटर, **चर्तुसीमा :** पूर्व- मकान नंबर 368, पश्चिम- रोड़, उत्तर- रोड़, दक्षिण- मकान नं. 370 **संपत्ति आईडी: IDIB30666037940**	10.03.2025 / 26.05.2025 / Rs. 35,25,712/- दि. 31.12.2025 तक / प्रापर्टी लोकेशन	Rs. 36,00,000/- / Rs. 3,60,000/- / Rs. 10,000/-

उपरोक्त संपत्तियों पर भार : कुछ नहीं
ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 20.01.2026 को प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक
बोलीदाताओं को ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता PSB Alliance Pvt. Ltd की वेबसाइट **(https://baanknet.com)** पर जाने की सलाह दी जाती है। तकनीकी सहायता के लिए कृपया PSB Alliance Pvt. Ltd Helpdesk No. 8291220220, email ID'- support.baanknet@psballiance.com एवं सेवा प्रदाता हेल्प डेस्क में उपलब्ध अन्य हेल्प लाइन नंबरों पर कॉल करें। PSB Alliance Pvt. Ltd के साथ पंजीकरण की स्थिति और ईएमडी की स्थिति के लिए कृपया support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें। संपत्ति विवरण और संपत्ति की तस्वीर व नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com** देखें एवं इस पोर्टल से संबंधित स्पष्टीकरण के लिए, कृपया हेल्प लाइन नंबर '**Helpdesk No.8291220220** पर संपर्क करें।
बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे **https://baanknet.com** की वेबसाइट में संपत्ति की खोज करते समय उक्त उल्लेखित संपत्ति आईडी नंबर का उपयोग करें।

स्थान: देवास — **प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांक : 01.01.2026 — **इंडियन बैंक**